

Dr. Parvati Kumar
B.A. 1st
Econ.

Commercial bank

नहीं होती है। (Although the bankers create credit, the amount in which they create credit is not arbitrary and unlimited) बैंकों की साख सृजन की शक्ति की निर्धारित मुख्य सीमाएं हैं, जिनके चलते वे मनमानी ढंग से शत असीमित मात्रा में साख का सृजन नहीं कर सकते।

1) देश में कुल मुद्रा की कुल मात्रा (Total amount of cash in the country):

साख सृजन का मुख्य आधार नकद मुद्रा है जिस देश में नकद मुद्रा की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, उतने देश में उतनी ही अधिक मात्रा में साख का निर्माण हो सकेगा। नकद मुद्रा के अंतर्गत फा. मुद्रा तथा बांडु मुद्रा शामिल हैं, लेकिन फा. मुद्रा की अधिक महत्वता होती है। दुबरी कोर यदि देश में मुद्रा की मात्रा कम होगी और उतने साख-निर्माण की शक्ति कम जायेगी और न अधिक साख का सृजन नहीं कर सकेगा।

2) प्राथमिक जमा की मात्रा (Amount of primary deposits): प्राथमिक जमा की मात्रा ही वास्तव में साख-निर्माण की सीमा को निर्धारित करती है। प्राथमिक जमा की आधारभूत पर साख की वृद्धि इजाजत होती हुई होती है। यदि बैंक को प्राथमिक जमा अधिक मात्रा में मिलेगी तो वह अधिक मात्रा में साख सृजन करेगा। उससे निपटीय प्राथमिक जमा की रकम में कमी लेने से बैंक की साख निर्माण की शक्ति भी कम हो जायेगी।

(iii) बैंक द्वारा रखे जाने वाले नकद कोष का प्रतिशत (Percentage of Cash Reserve maintained by banks):

प्रत्येक बैंक को अपने कुल दायित्व (Total liabilities) का कुछ प्रतिशत नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है यदि वह अपने जर्नी कर्ली को नकद की मांग को पूरी कर सके। नकद कोष का प्रतिशत विना होगा, यह बैंक अपने अनुभव से निर्धारित करेगा। बैंक जितना ही कम नकद कोष रखते हैं, उतना ही अधिक साख देकर साख का सृजन कर सकते हैं। लेकिन यदि इन्होंने अधिक नकद कोष रखना आवश्यक हुआ तो वे कम साख का सृजन कर सकेगे।

(iv) रेजिस्ट्रार बैंक से प्राप्त जमा की राशि (Deposit amount with central bank):

प्रत्येक बैंक को अपने कुल दायित्व का कुछ

Cont.

प्रतिशत रेजिस्ट्रार बैंक पर रखना पड़ता है। (Reserve funds)

इस रूप में रखना पड़ता है। यदि वह उचित रूप से साख सृजन करेगी तो बैंक उस साख का निर्माण कर सकेगा। यदि इसकी मात्रा होगी तो वह अधिक साख का निर्माण कर सकेगा।

(v) रेजिस्ट्रार बैंक की सख नीति (Credit policy of central bank)

बैंकों को दे साख सृजन को इसी पर रेजिस्ट्रार बैंक के सख नियंत्रण की नीति का भी प्रभाव पड़ता है। रेजिस्ट्रार बैंक विभिन्न परिणामों से गुणात्मक तरीके से साख का नियंत्रण करता है।

(vi) जनता में बैंकिंग की आदत (Banking habits of the people)

यदि जनता में बैंकिंग की आदत विकसित हो चुकी है और लोग बैंक तथा अन्य साख-ग्रहणों का प्रयोग करते हैं तो बैंक को अधिक मात्रा में जमा प्राप्त होगी और उतने साख-निर्माण की शक्ति बढ़ेगी।

(vii) नकद मुद्रा की बचत मात्रा जो अपने पास रखना चाहते हैं

(The amount of cash which the people want to hold with it):

बैंक द्वारा साख निर्माण की मात्रा बैंक वार पर निर्भर करती है। यदि लोग दिवसीय नकद मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं, तब जनता ही मुद्रा की बचत करके वास्तव में साख सृजन करते हैं। जब लोगों की वास्तव में साख सृजन की मांग कम होगी तो बैंक को साख सृजन करना पड़ेगा। बैंक को साख सृजन करने में बैंक द्वारा जमा के माध्यम से बैंक द्वारा साख निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यदि लोगों की वास्तव में साख सृजन की मांग कम होगी तो बैंक को साख निर्माण करना पड़ेगा।

(viii) बैंक में जमा करने की दर (Deposit rate for bank deposits)

बैंकों को साख निर्माण की शक्ति होगी। बैंक में जमा करने की दर पर भी निर्भर करती है। यदि लोग बैंक में जमा करने के लिए साख सृजन कर सकते हैं तो बैंक को अधिक साख का सृजन कर सकेगा। लेकिन यदि लोग कम जमा करते हैं तो बैंकों को साख निर्माण की शक्ति सीमित हो जायेगी।

(ix) जमानत की प्रकृति (Nature of securities)

यदि बैंक बैंक देकर साख का निर्माण करते हैं लेकिन बैंक बैंक से पहले वे अपने ग्राहकों से बी. व. न. बी. (जमानत) प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जमानत के द्वारा (परत) प्रण लिया जाता है। और प्रण से साख का निर्माण होता है। इसीलिए कहा गया है कि "बैंक बैंक से जमा का सृजन नहीं करते, वे जमा-प्रकार से धन को मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अतः बैंक की यदि अच्छी जमानत मिलेगी तो वे अधिक प्रण देकर अधिक साख का निर्माण कर सकेगे। इससे विपरीत यदि उन्हें अच्छी जमानत नहीं मिलेगी तो वे अधिक प्रण भी नहीं दे सकेगे और साख निर्माण की शक्ति सीमित हो जायेगी।

(x) साख अथवा प्रण की मांग (Demand for credit or loans)

बैंकों को साख निर्माण की शक्ति साख अथवा प्रण की मांग पर निर्भर करती है। यदि साख मांगण की मांग ही नहीं होगी तो बैंक प्रण नहीं कर सकेगे और सृजन भी नहीं कर सकेगे। जमा साख निर्माण के लिए प्रणों की मांग होती जरूरी है। यदि प्रणों की मांग अधिक होगी तो बैंक अधिक साख का सृजन कर सकेगे और प्रणों की मांग में कमी होने पर उतने साख निर्माण की शक्ति सीमित होगी।

#

Dr. Prasad Kumar
B.A. 1
Econ

Commercial bank account

नदी होती है। (Although the bankers create credit, the amount in which they create credit is not arbitrary and unlimited) बैंकों की साख सृजन की शक्ति की निम्नलिखित मुख्य सीमाएँ हैं, जिनके चलते वे प्रमानी वृत्त से स्वतः अधिकृत मात्रा में साख का सृजन नहीं कर सकते:-

- (i) बैंक में कुल मुद्रा की कुल मात्रा (Total amount of cash in the country): साख सृजन का मुख्य आधार नकद मुद्रा है जिस देश में नकद मुद्रा की मात्रा निश्चयी है अधिक होगी, उधर देश में उतनी ही अधिक मात्रा में साख का निर्माण हो सकेगा। नकद मुद्रा के अतिरिक्त पत्र-मुद्रा तथा बांड-मुद्रा आदि, लेकिन पत्र-मुद्रा की अधिक-मर्यादा होती है। दुबरी कोर यदि देश में मुद्रा की मात्रा कम होगी और उसके साख-निर्माण की शक्ति कम होगी और व अधिक साख का सृजन नहीं कर सकेगे।

- (ii) प्राथमिक जमा की मात्रा (Minimum of primary deposits): प्राथमिक जमा की मात्रा ही वास्तव में साख-निर्माण की सीमा को निर्धारित करती है। प्राथमिक जमा की आधारभूत पर साख की विराट इमारत खड़ी हुई होती है। यदि बैंक को प्राथमिक जमा अधिक मात्रा में मिलेगी तो वह अधिक मात्रा में साख सृजन करेगा। उसके विपरीत प्राथमिक जमा की रकम में कमी होने पर बैंक की साख निर्माण की शक्ति भी कम हो जायेगी।

- (iii) बैंक द्वारा रखे जाने वाले नकद कोष का प्रतिशत (Percentage of Cash Reserve contained by banks): प्रत्येक बैंक को अपने कुल दायित्व (Total liabilities) का कुछ प्रतिशत नकद कोष के रूप में रखना पड़ना है। यदि वह अपने जम्मेदारियों के नकद की माँग को पूरी कर सके। नकद कोष का प्रतिशत जितना होगा, उतना बैंक अपने अनुभव से अधिकतर साख ही बैंक द्वारा ही कम नकद कोष रखते हैं। कम्पनी अधिकतर बैंक साख का सृजन कर सकते हैं, लेकिन यदि इन्होंने अपना अधिक नकद कोष रखना आवश्यक हुआ तो वे कम साख का सृजन कर सकेंगे।

- (iv) क्रेडिट बैंक से प्राप्त जमा की सीमा (Deposit amount with central bank): प्रत्येक बैंक को अपने कुल दायित्व का कुछ

Cont.

प्रतिशत क्रेडिट बैंक पास रखा जाये (Reserve funds) के रूप में रखना पड़ना है। यदि उस प्रतिशत की मात्रा अधिक होगी तो बैंक उस मात्रा का निर्माण कर सकेगा और यदि उतनी मात्रा होगी तो वह अधिक साख का निर्माण कर सकेगा।

- (v) क्रेडिट बैंक की सख नीति (Credit policy of central bank): बैंक को वे साख सृजन के कार्यों पर क्रेडिट बैंक के साख नियंत्रण की नीति का भी प्रभाव पड़ना है। क्रेडिट बैंक विभिन्न परिस्थानों में हरे गुणवत्ता वाली साख का नियंत्रण करता है।

- (vi) जनता में बैंकिंग की आदत (Banking habits of the people): यदि जनता में बैंकिंग की आदत विकसित हो चुकी है और लोग बैंक तथा अन्य साख-संस्थानों का प्रयोग करते हैं तो बैंक को अधिक मात्रा में जमा प्राप्त होगी और उनके साख-निर्माण की शक्ति बढ़ेगी।

- (vii) नकद मुद्रा की बचत मात्रा जो अपने पास रखना चाहते हैं (The amount of cash which the people want to hold with it): बैंक द्वारा साख निर्माण की मात्रा बढ़ावाने पर निर्भर होती है। यदि लोग अपनी नकद मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं, तब तो जनता की मुद्रा की बचत बढ़ती चलेगी। जब लोगों की नकद पसंदगी अधिक होती है तो वे बैंकों में कम मुद्रा जमा करेंगे और बैंक इन्फ्लेशन नियंत्रित कर सकेंगे, लेकिन यदि लोगों की नकद पसंदगी कम है, तो बैंकों को अधिक जमा प्राप्त होगी और वे अधिक साख का सृजन कर सकेंगे।

- (viii) बैंक में जमा करने की इच्छा (Desire for bank deposits): बैंक को वे साख निर्माण की शक्ति होगी जिस बैंक में जमा करने की इच्छा पर भी निर्भर करती है। यदि लोग बैंक में नकद जमा करना चाहेंगे तो बैंक अधिक साख का सृजन कर सकेंगे। लेकिन यदि लोग कम जमा करेंगे तो बैंकों को साख निर्माण की शक्ति सीमित हो जायेगी।

(ix) जमानत की प्रकृति (Nature of securities) यह जमानत

है कि क्या बैंक साख का निर्माण करते हैं लेकिन प्रण लेने से पहले वे अपने ग्राहकों से कौशल नोट (जमानत आवश्यक करवा लेते हैं)। नकद प्रकार जमानत के द्वारा परते प्रण दिया जाता है। और प्रण से साख का निर्माण होता है। इसीलिए कहा गया है कि "बैंक शून्य से जमा का सृजन नहीं करते, वे शून्य प्रकार से धन को मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।" अतः बैंकों की यदि अच्छी जमानत मिलेगी तो वे अधिक प्रण लेकर अधिक साख का निर्माण कर सकेंगे। इसके विपरीत यदि उन्हें अच्छी जमानत नहीं मिलेगी तो वे अधिक प्रण भी नहीं ले सकेंगे और साख निर्माण की शक्ति सीमित हो जायेगी।

(x) साख अथवा प्रण की माँग (Demand for credit or loans)

बैंकों को साख निर्माण की शक्ति साख अथवा प्रण की माँग पर निर्भर करती है। यदि साख माँग की माँग ही नहीं होगी तो बैंक प्रण नहीं कर सकेंगे और सृजन भी नहीं कर सकेंगे। अतः साख निर्माण के लिए प्रणों की माँग होती-जाती है। यदि प्रणों की माँग अधिक होगी तो बैंक अधिक साख का सृजन कर सकेंगे और प्रणों की माँग में कमी होने पर उनके साख-निर्माण की शक्ति सीमित होगी।

#